झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा 08 की बोर्ड परीक्षा, 2025 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 39 / 2024

एतद् द्वारा संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा, 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाईन भराया जायेगा। परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित सभी निर्देश परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त का अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ससमय भरना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के छात्र/छात्राएँ ही कक्षा आठ की परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने योग्य माने जायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन (Online approval) के उपरान्त कक्षा आठ की परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये User ID एवं Password का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। नये विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से User ID एवं Password प्राप्ति हेतु परिषद् से अनुरोध करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय को सभी निर्धारित शर्त्तों की पूर्ति के आलोक में परिषद् के पोर्टल में अनुमोदन दिया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रधान User ID एवं Password का ही उपयोग कर निम्न कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे :–

- **जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय को अनुमोदित करने की तिथि – 26.11.2024 से 07.12.2024 तक ।**
- **ऑनलाईन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि – 26.11.2024 से 20.12.2024 तक ।**

परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी।

JAC/जां०/1623/19/SECY/1257/24.
Dt- 25/11/24.
D.O.P- 26/11/24.

अध्यक्ष के आदेश से,

25/XI/24

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक JAC/गो0/1622/19/SECY/1257/24........ दिनांक : 25/11/24

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे0 आर0 डी0 एस0 मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 26.11.2024 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी0ए0भी0पी0 दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

25/XI/24

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।